न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेमारी जिला उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी – श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 45 /2017

दायर दिनांकः– 22-8-2017
फैसल दिनांकः–

1. हीरा पिता वाला डांगी निवासी श्यामपुरा तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
2. गोता पिता वाला डांगी निवासी श्यामपुरा तहसील सेमारी जिला उदयपुर।

(वादीगण)

बनाम

1. देवा पिता मोगा डांगी निवासी श्यामपुरा तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
2. गांगा पिता मोगा डांगी निवासी श्यामपुरा तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
3. तहसीलदार सेमारी भूमिधारी राजस्थान सरकार।

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता।

::निर्णय::

वादी हीरा गोता पिता वाला जाति डांगी निवासी श्यामपुरा तहसील सेमारी जिला उदयपुर द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सेमारी की जमाबन्दी संवत 2069–2072 की खाता संख्या 70 आराजी नम्बर 233, 234, 235, 236, 308, 309, 310, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 367, 370, 406, 410, 423, 653, 654, 658, 799, 801, 805, 807, 808, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 1138, 1139, 1140, 1143, 1336, 1337, 1420, 1421, 1422, 1423, 1462, 1463, 1465, 1466, 1608, 1609, 1610, 1631, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754 कुल किता 73 रकबा 8.63 हेक्टेयर लगानी 51.99, के खाते मे प्रतिवादी देवा गांगा पिता मोगा का 1/2 हिस्सा खाता संख्या 71 आराजी संख्या 838 कुआ रकबा 0.03 हेक्टेयर मे प्रतिवादी के पिता मोगा पिता कचरा का 1/10 हिस्सा एवं खाता संख्या 3 आराजी संख्या 1145, 1146, 1304 किता 3 रकबा 0.72 हेक्टेयर लगानी 6.70 मे प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज उक्त हिस्से की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की संयुक्त पुश्तेनी भूमि होकर मेवाड सेटलमेन्ट से प्रतिवादीगण के पिता मोगा पिता कचरा के नाम दर्ज चली आ रही है। वादीगण द्वारा उक्त संयुक्त पुश्तेनी भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कुलिया हिस्से की भूमि

खातेदार घोषित करने का निवेदन किया है। प्रकरण मे तहसीलदार सेमारी से राजस्व रिकार्ड एवं मौके अनुसार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के बयान भी कलमबद्ध किये गये। तहसीलदार सेमारी की रिपोर्ट अनुसार वादपत्र मे वर्णित भूमि मेवाड सेटलमेन्ट से ही मोगा पिता कचरा डांगी के नाम दर्ज चली आ रही है व मोगा की मृत्यु हो जाने से उसके पुत्र देवा गांगा पिता मोगा डांगी के नाम दर्ज होने से वर्तमान रिकार्ड तक देवा गांगा पिता मोगा (प्रतिवादी 1 व 2) के नाम दर्ज चली आ रही है। मेवाड सेटलमेन्ट रिकार्ड से पूर्व उक्त भूमि वादी तथा प्रतिवादी 1 व 2 के मूल पुरूष कचरा पिता कपुरा के नाम दर्ज थी जिसके दो पुत्र मोगा व वाला थे। किन्तु मोगा बडा पुत्र होने से खाते मे मोगा पिता कचरा दर्ज हो गया व छोट भोई वाला का नाम दर्ज होने से रह गया। वाला पिता कचरा की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण उक्त वाला पिता कचरा के ही जायन्दा पुत्र है। वाद पत्र मे वर्णित भूमि आवंटनशुदा एवं कयशुदा नही होकर पुश्तेनी है। वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 संयुक्त रूप से बराबर हिस्से मे काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण द्वारा भी प्रतिवादी 1 व 2 का खाते मे नाम दर्ज कराने हेतु सहमती प्रदान की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सेमारी की रिपोर्ट, साबिक एवं हाल राजस्व रिकार्ड एवं प्रतिवादी 1 व 2 के बयानो के आधार पर ग्राम श्यामपुरा तहसील सेमारी की की जमाबन्दी संवत 2069–72 की खाता 70 आराजी किता 73 रकबा 8.63 हेक्टेयर लगानी 51.99, खाता संख्या 71 आराजी संख्या 838 कुआ रकबा 0.03 हेक्टेयर खाता संख्या 3 आराजी किता 3 रकबा 0.72 हेक्टेयर लगानी 6.70 के खाते मे प्रतिवादी 1 व 2 देवा गांगा पिता मोगा हिस्से मे दर्ज भूमि का वादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार सेमारी को पालना हेतु भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.9.2017 मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे द्वारा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सराडा